तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 20/4/24 को पेश हो।

मुकदमा नम्बर– 707 / 2023
राजेश बनाम मुरली वगै0

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया। नकल प्रार्थी वकील को दिलायी गयी। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों के बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है। उभय पक्षों को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1870 रकबा 0.95 हैक्ट. अवस्थित ग्राम चला पटवार हल्का चला तहसील नीमकाथाना में विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तथा पूर्व में दिनांक 01.08.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
सिविल जज (जू0डि0)
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:21:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner